न्यायालय जनपद न्यायाधीश, रामपुर।

प्रकीर्ण (टी०ए०)वाद सं०–138/2025

सी०एन०आरं०नं०–UPRP010091702026

रजि०नं०–113/2025

श्रीमती नीरज गुप्ता––बनाम––पूरन लाल आदि।

दिनांक 12–05–2026

प्रार्थिनी श्रीमती नीरज गुप्ता की ओर से अन्तरण प्रार्थना पत्र 4ग मय शपथ पत्र 5ग इन अभिकथनों के साथ प्रस्तुत किया है कि प्रार्थिनी ने उक्त मूलवाद सं0 268/2025, मूलवाद सं0 141/2000 तथा मूलवाद सं0 202/2002 को एक हो न्यायालय में स्थानांतरित कराने के लिये प्रकीर्ण वाद सं० 122/2025, श्रीमती नीरज गुप्ता आदि बनाम पूरन लाल आदि श्रीमान जी के सम्मुख प्रस्तुत किया था, क्योंकि तीनों वादों में विषयगत सम्पत्ति तथा पक्षकार लगभग समान थे। मान्य न्यायालय द्वारा उक्त स्थानांतरण विविध वाद सं0 122/2025 सुनवाई के पश्चात गुणदोष के आधार पर दिनांक 27.11.2025 को स्वीकार किया गया और चूंकि उक्त आदेश के समय मूलवाद सं0 141/2000, विरेश कुमार बनाम मो० यूसुफ खॉ तथा मूलवाद सं0 202/2002, मो0 यूसुफ खॉ बनाम विरेश कुमार न्यायालय श्रीमान अपर सिविल जज (व०ख०), न्यायालय सं० 3, रामपुर के न्यायालय में लम्बित थे इसलिये प्रार्थिनी का मूलवाद सं० 268/2025, नीरज गुप्ता बनाम पूरन लाल आदि एक साथ विचारण/निस्तारण के लिये श्रीमान अपर सिविल जज (व०ख०), न्यायालय सं० 3, रामपुर अंतरित कर दिया गया। श्रीमान जी के उक्त आदेश के पश्चात प्रशासनिक आदेश दिनांकित 28.11.2025, 29.11.2025 से मूलवाद सं0 141/2000, विरेश कुमार बनाम मो० यूसुफ खॉ एवं मूलवाद सं0 202/2002, मो0 यूसुफ खॉ बनाम विरेश कुमार श्रीमान अपर सिविल जज (व०ख०), न्यायालय सं० 3, रामपुर के न्यायालय से अपर सिविल जज (व०ख०), न्यायालय सं० 2, रामपुर को गुणदोष के आधार पर निर्णीत किये जाने हेतु अंतरित कर दिये गये हैं। मान्य न्यायालय के आदेश दिनांकित 27.11.2025 से प्रार्थिनी का वाद सं0 268/2025, श्रीमती नीरज गुप्ता बनाम पूरन लाल आदि मान्य सिविल जज (व०ख०), रामपुर के न्यायालय से श्रीमान अपर सिविल जज (व०ख०), न्यायालय सं० 3, रामपुर को अंतरित हो गया है। उपरोक्त परिस्थिति एवं न्यायहित में प्रार्थिनी का उक्त वाद सं० 268/2025, श्रीमती नीरज गुप्ता बनाम पूरन लाल आदि, लम्बित न्यायालय श्रीमान अपर सिविल जज (व०ख०), न्यायालय सं० 3, रामपुर से श्रीमान अपर सिविल जज (व०ख०), न्यायालय सं० 2, रामपुर को अंतरित किये जाने योग्य है जिससे तीनों वादों का विचारण तथा निस्तारण साथ–साथ किया जा सके। अतः प्रार्थना है कि प्रार्थिनी का उक्त वाद सं0 268/2025, श्रीमती नीरज गुप्ता बनाम पूरन लाल आदि, लम्बित न्यायालय श्रीमान अपर सिविल जज (व०ख०), न्यायालय सं० 3, रामपुर से श्रीमान अपर सिविल जज (व०ख०), न्यायालय सं० 2, रामपुर को अंतरित किये जाने की कृपा

करें।

विपक्षी संख्या–5 की ओर से आपत्ति 21ग इन अभिकथनों के साथ प्रस्तुत की है कि मूलवाद सं०– 268 सन् 2025 श्रीमती नीरज गुप्ता बनाम पूरन लाल आदि को न्यायालय अपर सिविल जज (प्रवर वर्ग) कोर्ट सं०– 03 से न्यायालय अपर सिविल जज (प्रवर वर्ग) कोर्ट नं०– 02 या किसी भी न्यायालय में अन्तरित किये जाने की हद तक विपक्षी नं0–5 को कोई आपत्ति नहीं है लेकिन मूलवाद सं0– 268 सन् 2025 का विचारण तथा निस्तारण मूलवाद सं०– 141 सन् 2000 तथा मूलवाद सं०– 202 सन् 2002 के साथ किये जाने में निम्नलिखित आपत्ति है कि सिविल मूलवाद सं०– 141 सन् 2000 वीरेश कुमार बनाम मौ० यूसुफ खां आदि विपक्षीगण बृजलाल, वीरेश कुमार तथा पूरन लाल ने विपक्षी मौ० यूसुफ खां तथा विपक्षी राजीव कुमार के विरूद्ध मौ० यूसुफ खां के मुख्त्यार आम की हैसियत से विपक्षीगण वीरेश कुमार, बृजलाल तथा पूरन लाल के हक में कराये गये विक्रय पत्र के आधार पर शाश्वत निषेधाज्ञा व्यादेश की आपत्ति हेतु दायर किया है तथा मूलवाद सं०– 202/2002 विपक्षी न०– 4 के पिता स्व० मौ० यूसुफ खां द्वारा उपरोक्त मुख्त्यारनामा के निरस्त होने के बाद उपरोक्त विक्रय पत्र बिना किसी अधिकार के राजीव कुमार (विपक्षी सं०–5 आपत्तिकर्ता) के द्वारा किया जाना कथित करते हुए उपरोक्त विक्रय पत्र को निरस्त कराने हेतु दायर किया गया है। उपरोक्त दानों वादों में विवाद तथा साक्ष्य कामन होने के कारण दोनों वादों उपरोक्त साक्ष्य के उद्देश्य समकेतिक किया गया तथा पक्षकारों का साक्ष्य भी समय पूर्व पूर्ण हो गया तथा दोनों वादों में केवल बहस तथा निस्तारण होना शेष रह गया है। उपरोक्त दोनों वादों के लम्बन काल में श्रीमती नीरज गुप्ता के कथनानुसार उसने कोई इकरारनामा मुआदायबय दिनांक 17.10.2023 विपक्षी पूरन लाल से कराया है जिसके आधार पर श्रीमती नीरज गुप्ता ने उपरोक्त दोनों वाद सं०– 141 सन् 2000 तथा 202 सन् 2002 में बहस के दौरान अपने आप को पक्षकार बनाये जाने हेतु प्रार्थनापत्र दिनांक 29.09.2025 प्रस्तुत किया जो गुणदोषों के आधार पर निरस्त किया गया। उसके बाद श्रीमती नीरज गुप्ता द्वारा उपरोक्त इकारारनामा मुआयदाबय जो केवल श्रीमती नीरज गुप्ता तथा पूरन लाल के मध्य ही निष्पादित होना कथित करते हुये संविदा के अनुपालन एवंम स्थायी निषेधाज्ञा व्यादेश की आज्ञाप्ति हेतु दिनांक 08.10.2025 को दायर किया जो मूलवाद सं०– 268 सन् 2025 नियत है। उपरोक्त इकारनामा मुआयदाबय से इस ट्रासफर प्रार्थना पत्र के विपक्षीगण सं०– 2 ता 6 में से कोई भी पक्षकार नहीं है और न वह विपक्षीगण पर काबिले पाबन्दी है लेकिन श्रीमती नीरज गुप्ता ने बिना किसी वाद कारण के मूलवाद सं०– 268/2025 में पक्षकार बनाया, उपरोक्त मूल वाद सं०–268 सन 2025 का कोई प्रभाव पूर्ण वाद सं०– 2025 141 सन् 2000 तथा 202 सन् 2002 पर नहीं पडेगा। मूलवादसं०– 141 सन् 2000 तथा मूलवाद सं०– 202/2002 में निहित विवाद वाद सं0– 268/2025 में निहित विवाद से विलकुल अलग है। श्रीमती नीरज गुप्ता जिसमें उपरोक्त वाद वाद सं०– 141/2000 तथा मूल वाद सं0– 202 सन् 2002 के लम्बन काल में उपरोक्त इकरारनामा मुआयदाबय दिनांक 17.10.2023 केवल विपक्षी पूरन लाल से कराया है, के आधार पर वाद सं0–

141/2000 व वाद सं०– 202/2002 जिसमें केवल बहस तथा निर्णय होना शेष है, के निस्तारण को मूलवाद सं०– 268/2025 जो दिनांक 29.09.2025 को दायर किया गया के निस्तारण तक लम्बित रखना चाहती है। है। जबकि उसके द्वारा उपरोक्त मूलवादसं 0– 141 सन् 2000 तथा 202/2002 में पक्षकार बनाये जाने हेतु प्रार्थना पत्र गुणदोषों के आधार पर खारिज हो चुका है। प्रार्थिनी के ट्रांसफर प्रार्थनापत्र में यह लिखना कि मूलवाद सं0– 141/2000 तथा 202 सन् 2002 जो 26 वर्षों से लम्बित है, का विचारण व निस्तारण मूलवाद सं0– 268/2025 के निस्तारण के साथ हो विधि विरूद्ध है तथा उससे विपक्षी नं0– 5 तथा अन्य विपक्षीगण जो उपरोक्त इकरारनामा मुआयदाबय में पक्षकार नहीं है तथा उन पर वह किसी प्रकार काबिले पाबन्दी है और न उपरोक्त मूलवाद सं०– 268 सन् 2025 में संविदा के अनुपालन की डिक्री उनके विरूद्ध क्लेम की गयी है, को भारी अपूर्णनीय क्षति पहुचेगी तथा उनके विधिक अधिकारों का हनन होगा तथा उससे न्यायिक प्रक्रिया की दुरूपयोग होगा। धारा– 24 सी०पी०सी० के अन्तर्गत माननीय न्यायालय द्वारा किसी वाद या वादों की किसी भी किसी एक सक्षम न्यायालय में ट्रांसफर किये जाने में कोई आपत्ति नहीं है लेकिन उन वादों का विचारण तथा निस्तारण एक साथ किया जाना न्यायोचित है अथवा नहीं इस सम्बन्ध में वह न्यायालय वादों की पत्रावलियों के अवलोकन करके तथा पक्षकारों को सुनकर न्यायोचित तथा विधिसम्मत न्यायिक आदेश पारित कर सकता है।

अन्य विपक्षीगण की ओर से कोई आपत्ति दाखिल नहीं की गयी है।

प्रार्थिनी के विद्वान अधिवक्ता का तर्क है कि पूर्व में मूल वाद सं०– 268/2025, मूल वादसं०–141/2000 एवं मूल वाद सं०–202/2002 भिन्न न्यायालयें में विचाराधीन थे तथा प्रार्थिनी द्वारा प्रस्तुत प्रकीर्ण(टी०ए०) वाद सं०–122/2025 पर पारित आदेश दिनांकित 27/11/2025 से उक्त तीनों वाद एक ही न्यायालय विचारण हेतु अन्तरित कर दिये गये थे। इसके उपरांत प्रशासनिक आदेश के अनुसार मूल वाद सं०–141/2000 विरेश कुमार बनाम मौ०यूसुफ खां एवं मूल वाद सं०–202/2002 मो०यूसुफ खां बनाम विरेश कुमार न्यायालय अपर सिविल जज(व०ख०) न्यायालय संख्या– 2 रामपुर में तथा मूल वाद सं०–268/2025 श्रीमती नीरज गुप्ता बनाम पूरन लाल आदि न्यायालय अपर सिविल जज(सी०डि०) न्यायालय सं०–3 रामपुर में अन्तरित हो गये हैं। उक्त तीनों वादों का निस्तारण एक साथ एक ही न्यायालय द्वारा किया जाना है। अतः उक्त तीनों वादों को किसी एक ही सक्षम न्यायालय में अंतरित किया जाये।

विपक्षी सं०–5 के विद्वान अधिवक्ता द्वारा यह तर्क प्रस्तुत किया कि उक्त तीनों वादों किसी भी सक्षम न्यायालय में अंतरित किये जाने पर उनको कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन उक्त तीनों वादों का एक साथ विचारण एवं निस्तारण किये जाने पर उनको घोर आपत्ति है क्योंकि मूल वाद सं०–141/2000 एवं मूल वाद सं०–202/2002 में विवाद तथा साक्ष्य समान होने के कारण उक्त दोनों वादों को समकेतिक किया गया तथा पक्षकारों का साक्ष्य पूर्ण हो चुका है एवं उक्त वादों में मात्र बहस के उपरांत निस्तारण होना है। मूल वाद सं०–

268/2025 दिनांक 08/10/2025 को दायर किया गया है जो कि मूल वाद सं०–141/2000 एवं मूल वाद सं०–202/2002 में निहित विवाद से अलग है। मूल वाद सं०–268/2025 को विलम्बित करने के उद्देश्य से प्रार्थिनी द्वारा यह अन्तरण प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है। अतः उक्त तीनों वादों का एक साथ विचारण/निस्तारण न किया जाये।

अन्तरण प्रार्थना पत्र के आलोक में सम्बन्धित न्यायालयों से प्राप्त आख्या पत्रावली पर दाखिल है।

सुना।

अभिलेख का अवलोकन किया।

विपक्षी सं०–5 की ओर से अपनी आपत्ति में उक्त सभी वादों को किसी भी सक्षम न्यायालय में अन्तरित किये जाने पर कोई आपत्ति न होने का उल्लेख किया है एवं अन्य विपक्षीगण की ओर से कोई आपत्ति प्रस्तुत नहीं की है। उक्त समस्त वाद एक ही विषयगत भूमि के संबंध में है। अतः उक्त तथ्यों के दृष्टिगत उक्त वादों को एक ही न्यायालय में विचारण हेतु अन्तरित किया जाना विधिसम्मत एवं न्यायोचित प्रतीत होता है। अतः अन्तरण प्रार्थना पत्र स्वीकार किए जाने योग्य है।

तदनुसार प्रस्तुत अन्तरण प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है।

न्यायालय अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट/अपर सिविल जज (सी०डि०) न्यायालय सं०–2, रामपुर में लम्बित मूल वाद सं०–141/2000 वीरेश कुमार बनाम यूसुफ खान आदि एवं मूल वाद सं०–202/2002 यूसुफ बनाम वीरेश आदि, को उक्त न्यायालय से वापस लेकर विधि अनुसार सुनवाई/निस्तारण हेतु न्यायालय अपर सिविल जज(सी०डि०)/अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, न्यायालय संख्या०–3, रामपुर में अन्तरित किया जाता है।

दिनांक 12.05.2026

(भानु देव शर्मा)
जनपद, न्यायाधीश
रामपुर।